निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

6 भाद्र 1937 (श0)

(सं0 पटना 988) पटना, शुक्रवार, 28 अगस्त 2015

स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचनाएं

26 अगस्त 2015

सं0 11/टी0बी0(स्था0)–17/2014–718(11)—भारत का संविधान के अनुच्छेद–309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार के राज्यपाल, स्वास्थ्य विभाग के अधीन यक्ष्मा नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत बिहार यक्ष्मा स्वास्थ्य परिदर्शक संवर्ग में नियुक्ति एवं सेवा शर्तों के विनियमन हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं।–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ। – (1) यह नियमावली ''बिहार यक्ष्मा स्वास्थ्य परिदर्शक संवर्ग नियमावली 2015'' कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरंत प्रवृत होगी।

2. परिभाषाएँ। – जब तक विषय या संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में:–

(i) 'सरकार' से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार;

(ii) 'विभाग' से अभिप्रेत है स्वास्थ्य विभाग;

(iii) 'आयोग' से अभिप्रेत है बिहार कर्मचारी चयन आयोग;

(iv) 'नियुक्ति प्राधिकार' से अभिप्रेत है निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार;

(v) 'संवर्ग' से अभिप्रेत है बिहार यक्ष्मा स्वास्थ्य परिदर्शक संवर्ग;

3. संवर्ग का गठन। – (1) यक्ष्मा स्वास्थ्य परिदर्शक का संवर्ग राज्य स्तरीय होगा। इस संवर्ग में प्रत्येक कोटि के पदों की संख्या तथा संवर्ग के कुल पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय–समय पर स्वीकृत की जाय।

4. संवर्ग का पदसोपान। – इस संवर्ग की विभिन्न कोटियाँ अर्थात पदसोपान परिशिष्ट–1 के अनुसार होंगे।

5. भर्ती। – इस संवर्ग में नियुक्ति मूल कोटि (स्वास्थ्य परिदर्शक) के पद पर सीधी भर्ती से, आयोग की अनुशंसा के आधार पर, होगी।

6. अर्हताएँ। – (1) मूल कोटि के पद पर सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता इन्टरमीडियेट/10+2 (जीव विज्ञान के साथ) में उत्तीर्णता होगी। इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से हेल्थ भिजीटर के सर्टिफिकेट कोर्स में उत्तीर्णता एवं तत्संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त रहना आवश्यक होगा।

(2) यक्ष्मा स्वास्थ्य परिदर्शक संवर्ग में सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम आयु–सीमा 21 वर्ष होगी और अधिकतम आयु–सीमा वही होगी जो सरकार द्वारा समय–समय पर, आरक्षण कोटिवार, विनिश्चित की जाय।

(3) संबंधित वर्ष की 1ली अगस्त को, उम्र के निर्धारणार्थ, कट ऑफ डेट माना जायेगा।

7. भर्ती की प्रक्रिया। –(1) नियुक्ति प्राधिकार, वर्ष की 1ली अप्रैल की स्थिति के आधार पर रिक्ति की गणना कर एवं रोस्टर क्लीयरेन्स कराकर, आरक्षण कोटिवार अधियाचना आयोग को 30 अप्रैल तक भेजेगा।

(2) अधियाचना के आलोक में आयोग रिक्तियों को विज्ञापित कर आवेदन–पत्र आमंत्रित करेगा और निम्नलिखित आधार पर मेधासूची तैयार करेगाः–

(क) इन्टरमीडियेट/10+2 कोर्स की परीक्षा में प्राप्तांक के लिए–	30 अंक
(ख) सर्टिफिकेट कोर्स के लिए–	25 अंक
(ग) उच्चतर डिग्री के लिए–	10 अंक
(घ) बिहार राज्य के सरकारी अस्पतालों में कार्य का अनुभव के लिए (प्रति वर्ष के लिए 5 अंक, अधिकतम 25 अंक)–	25 अंक
(ङ) साक्षात्कार के लिए–	10 अंक
	कुल 100 अंक

टिप्पणी।– इन्टरमीडियेट/10+2 कोर्स की परीक्षा में प्राप्तांक के लिए किसी अभ्यर्थी को प्रदान किये जाने वाले अंकों का अवधारण उक्त कोर्स की परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के प्रतिशत को 0.30 के गुणक से गुणा करके होगा। उदाहरणार्थ, यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा 50% अंक प्राप्त किया गया हो तो उसे 50% x 0.30= 15 अंक दिये जायेंगे।

(3) साक्षात्कार की प्रक्रिया का अवधारण आयोग के द्वारा किया जायेगा।

(4) आयोग, उपनियम (2) के आधार पर मेधासूची तैयार करेगा। मेधासूची तैयार करने के पश्चात्, आयोग के द्वारा, नियुक्ति प्राधिकार के सहयोग से, प्रमाणपत्र की प्रारम्भिक जाँच एवं स्वास्थ्य जाँच करायी जायेगी और तत्पश्चात अधियाचित रिक्तियों के अनुरूप आरक्षण कोटिवार अंतिम अनुशंसा नियुक्ति प्राधिकार को भेजी जायेगी। नियुक्ति प्राधिकार के स्तर पर भी, प्रमाणपत्रों की जाँच के पश्चात् अनुशांसित अभ्यर्थियों के पूर्ववृत्त का सत्यापन करा लिया जायेगा।

(5) (1) आयोग की अनुशंसा प्राप्ति के उपरान्त, नियुक्ति की प्रक्रिया के संबंध में सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेश का अनुपालन आवश्यक होगा।

(2) आयोग की अनुशंसा की विभाग में प्राप्ति की तिथि से, एक वर्ष तक के लिए वैध रहेगी।

8. परिवीक्षा अवधि।– नियुक्ति के उपरान्त अभ्यर्थी परिवीक्षाधीन रहेंगे। परिवीक्षा अवधि दो वर्षों की होगी। परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं पाये जाने की दशा में परिवीक्षा अवधि का विस्तार एक वर्ष के लिए किया जायेगा। यदि विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं पायी जायेगी तो नियुक्ति प्राधिकार ऐसे स्वास्थ्य परिदर्शक को बिना किसी सूचना के सेवामुक्त कर सकेगा।

9. प्रशिक्षण।– परिवीक्षा अवधि में स्वास्थ्य परिदर्शक को ऐसे प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूर्ण करना होगा, जो विभाग द्वारा निर्धारित किया जाय।

10. विभागीय परीक्षा।– स्वास्थ्य परिदर्शक को विभाग द्वारा आयोजित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। विभागीय परीक्षा का पाठ्यक्रम विभाग द्वारा विनिश्चित किया जायेगा।

11. सम्पुष्टि।– परिवीक्षा अवधि के संतोषजनक ढंग से पूरा करने, प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने और विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने पर स्वास्थ्य परिदर्शक को सेवा में सम्पुष्ट किया जा सकेगा।

12. वरीयता।– स्वास्थ्य परिदर्शक की आपसी वरीयता आयोग के द्वारा विनिश्चित मेधासूची के अनुसार अवधारित की जायेगी।

13. प्रोन्नति के सोपान।– (1) सेवा में सम्पुष्ट स्वास्थ्य परिदर्शक को रिक्ति की उपलब्धता के अधीन रहते हुए, योग्यता–सह–वरीयता के अनुसार, परिशिष्ट–1 में उल्लिखित प्रोन्नति के सोपान के पदों पर प्रोन्नति दिये जाने पर विचार किया जा सकेगा।

(2) प्रोन्नति के लिए सरकार द्वारा, समय–समय पर, निर्गत 'कालावधि' संबंधी अनुदेश का अनुपालन आवश्यक होगा।

(3) सरकार द्वारा, समय–समय पर, निर्गत प्रोन्नति संबंधी और चारित्री या पी0 ए0 आर0 संबंधी, आरोप, विभागीय कार्यवाही/आपराधिक कार्यवाही आदि संबंधी अनुदेशों का, प्रोन्नति पर विचार के समय, अनुपालन करना अपेक्षित होगा।

14. विभागीय प्रोन्नति समिति।– प्रोन्नतियॉ विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर होंगी। विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन विभाग द्वारा किया जायेगा।

15. आरक्षण।– सरकार के आरक्षण अधिनियम और सरकार द्वारा, समय–समय पर, सीधी भर्ती एवं प्रोन्नति हेतु निर्गत आरक्षण रोस्टर का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

16. परिशिष्ट–1 में उल्लिखित पदसोपान सरकार के अनुमोदन के पश्चात् ही प्रभावी होगा। यदि अनुमोदन पर विचार के क्रम में सरकार द्वारा परिशिष्ट–1 में उल्लिखित पद–सोपान में कोई उपांतरण या संशोधन किया जाता है तो परिशिष्ट–1 तदनुसार परिवर्तित या संशोधित समझा जायेगा और ऐसा परिवर्तित/संशोधित पद–सोपान इस नियमावली का अंग माना जायेगा।

17. परिशिष्ट–1 में उल्लिखित इस संवर्ग के पदों पर, इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व से, नियुक्त/प्रोन्नत एवं कार्यरत कर्मी इस संवर्ग में स्वतः शामिल समझे जायेंगे।

18. अवशिष्ट मामले।– इस नियमावली में जिन विषयों का प्रावधान नहीं हो सका है उनके लिए सरकार की प्रासंगिक संहिताएँ/नियमावली/संकल्प/अनुदेश के प्रावधान लागू होंगे।

19. निर्वचन।– यदि इस नियमावली के किसी उपबंध के निर्वचन में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो विभाग को निर्देशित किया जायेगा और इस संबंध में विभाग का विनिश्चय विधि विभाग के परामर्श के पश्चात् अंतिम होगा।

20. कठिनाई का निराकरण।– यदि इस नियमावली के उपबंधों के कार्यान्वयन में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो विभाग विधि विभाग के परामर्श के पश्चात् ऐसी किसी कठिनाई का निराकरण ऐसे सामान्य या विशेष आदेश द्वारा कर सकेगा जो इस नियमावली के प्रावधानों से असंगत न हो।

21. कर्त्तव्य एवं दायित्व।– स्वास्थ्य परिदर्शक के कर्त्तव्य एवं दायित्व परिशिष्ट–2 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

22. निरसन एवं व्यावृत्ति।– (1) इस संवर्ग के संबंध में विभाग द्वारा पूर्व में समय–समय पर निर्गत नियमावली और सभी संकल्प, आदेश, अनुदेश आदि एतद् द्वारा निरसित किये जाते है।

(2) ऐसा निरसन के होते हुए भी ऐसी नियमावली, संकल्प, आदेश अनुदेश आदि के अधीन किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाई इस नियमावली द्वारा किया गया या की गयी समझी जायेगी, मानो यह नियमावली, इस तिथि को प्रवृत्त थी जिस तिथि को ऐसा कोई कार्य किया गया था या ऐसी कोई कार्रवाई की गयी थी।

परिशिष्ट–1

(देखें नियम– 2(vi), 4, 13, 16, 17)

बिहार यक्ष्मा स्वास्थ्य परिदर्शक संवर्ग का पदसोपान

क्रमांक	कोटि	पदनाम	अभ्युक्ति
1	मूल कोटि	स्वास्थ्य परिदर्शक	
2	प्रथम सोपान	वरीय स्वास्थ्य परिदर्शक	
3	द्वितीय सोपान	यक्ष्मा पर्यवेक्षक	
4	तृतीय सोपान	वरीय यक्ष्मा पर्यवेक्षक	

नोट।–उपर्युक्त सभी कोटियों का वेतन बैंड एवं ग्रेड–पे वही होगा जो सरकार द्वारा समय–समय पर विनिश्चित किया जाय।

परिशिष्ट–2

[देखें नियम–21]

बिहार यक्ष्मा स्वास्थ्य परिदर्शक संवर्ग के कर्मियों के कर्त्तव्य एवं दायित्व।

1. स्वास्थ्य परिदर्शकों का पदस्थापन यथ्मा प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्रों, जिला यक्ष्मा केन्द्रो, उत्क्रमित जिला यक्ष्मा केन्द्रों एवं चेस्ट क्लीनिकों में होगा, जहॉ उनका कार्य मोटिभेशन, सुपरवीजन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का कार्यान्वयन करना होगा।
2. वरीय स्वास्थ्य परिदर्शक का पद जिला स्तरीय होगा और वे संबंधित जिला में पदस्थापित स्वास्थ्य परिदर्शक के कार्यों पर पर्यवेक्षण करते हुए उक्त कार्यों को करेंगे।
3. यक्ष्मा पर्यवेक्षक का पद प्रमंडलीय स्तर का होगा और वे संबंधित प्रमंडल के अधीन के जिलों के स्वास्थ्य परिदर्शक एवं वरीय स्वास्थ्य परिदर्शक के कार्यों पर पर्यवेक्षण रखते हुए उक्त कार्यों को करेंगे।
4. वरीय यक्ष्मा पर्यवेक्षक का पद राज्य यक्ष्मा कार्यालय एवं निदेशक, यक्ष्मा प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्र के कार्यालय में होगा, जहॉ वे निदेशक के नियंत्रणाधीन कार्य करेंगे।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट,
सरकार के संयुक्त सचिव।

26 अगस्त 2015

सं0 11/टी0बी0(स्था0)–17/2014–719(11) अधिसूचना संख्या 718(11) दिनांक 26 अगस्त 2015 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद, बिहार–राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्द्वारा, प्रकाशित किया जाता है जो भारत का संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अंतर्गत अंग्रेजी भाषा में उक्त अधिसूचना का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,

(ह0) अस्पष्ट,

सरकार के संयुक्त सचिव।

The 26th August 2015

No. 11/टी0बी0(स्था0)–17/2014–718(11)—In exercise of powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make following Rules to regulate appointment and service conditions in the Bihar Tuberculosis Health Visitor cadre under the Health Department:-

1. Short title, extent & commencement.- (1) These Rules may be called as the "Bihar Tuberculosis Health Visitor Cadre Rules, 2015".

(2) It will extend to the whole State of Bihar.

(3) It will come into force at once.

2. Definitions.- Unless otherwise required in the subject or context, in these Rules:-

(i) 'Government' means Bihar State Government;

(ii) 'Department' means Health Department;

(iii) 'Commission' means Bihar Staff Selection Commission;

(iv) 'Appointing Authority' means Director-in-Chief, Health Services, Bihar;

(v) 'Cadre' means Bihar Tuberculosis Health Visitor Cadre; and

3. Constitution of cadre.- The cadre of Tuberculosis Health Visitor shall be state level. In this cadre, number of posts in every grades and total number of posts in the cadre shall be as many as may be sanctioned by the Government, from time to time.

4. Chain of posts of the cadre.- Different grades and chain of posts of this cadre shall be according to Appendix-1.

5. Recruitment.- Appointment in this cadre shall be by direct recruitment to the basic category posts (Health Visitor), on the basis of recommendation of the Commission.

6. Qualifications.- (1) For appointment by direct recruitment to the basic category posts, minimum educational qualification shall be Intermediate/10+2 pass (with Biology). In addition to this, passing in the Certificate course of Health Visitor from Government recognized institute and a certificate to that effect shall be necessary.

(2) For direct recruitment in the Tuberculosis Health Visitor Cadre, minimum age-limit shall be 21 years and maximum age limit shall be the same as may be determined reservation category wise, from time to time, by the Government.

(3) 1st August of the concerned year shall be deemed to be the cut off date for determination of age.

7. Procedure of recruitment.- (1) The appointing authority, after calculating vacancy on the basis of position as on 1st April of the year and getting roster cleared, shall send reservation category wise requisition to the Commission latest by 30th April.

(2) In light of requisition, the Commission shall invite applications after advertising vacancies and shall prepare merit list on following basis:-

(a) For marks obtained in the Intermediate/10+2 course examination	-	30 marks
(b) For certificate course	-	25 marks

(c) For higher degree	-	10 marks
(d) For work experience in Government Hospital of Bihar State (5 marks for each year, maximum 25 marks)	-	25 marks
(e) For Interview	-	10 marks
	Total=	100 marks

Note.- The marks to be given to a candidate for marks obtained in the Intermediate/10+2 course examinations shall be determined by multiplying percentage of total marks obtained in the aforesaid course's examination by multiple of 0.30. For example, if a candidate has obtained 50% marks, he will be given 50% X 0.30=15marks.

(3) Procedure for interview shall be determined by the Commission.

(4) The Commissions shall prepare merit list on the basis of sub-rule (2). After preparation of merit list, preliminary scrutiny of the certificates and medical check up shall be conducted by the Commission with the co-operation of the Appointing Authority, and thereafter, reservation categorywise final recommendation, in accordance with the requisitioned vacancies, shall be sent to the Appointing Authority. At the level of the Appointing Authority also, antecedents of candidates shall be caused to be verified after scrutiny of certificates.

(5) (1) After receipt of recommendation of the Commission, it shall be necessary to comply instructions issued by the Government, from time to time, with respect to procedure of appointment.

(2) The recommendation of the Commission shall be valid for one year w.e.f. the date of its receipt in the department.

8. Probation period.- After appointment the candidate will be on probation. The probation period will be of two years. In case, the service during probation period is not found satisfactory, the probation period will be extended for one year. If the service is not found satisfactory in extended period also, then the Appointing Authority may terminate service of such Health Visitor with out any notice.

9. Training.- During probation period, the probationer Health Visitor shall have to complete such training as may be determined by the Department.

10. Departmental Examination.- The Health Visitor shall have to pass the departmental examination. The syllabus of departmental examination will be determined by the Department.

11. Confirmation.- On satisfactory completion of probation period, successful completion of training and passing of departmental examination, a Health Visitor may be confirmed in the service.

12. Seniority.- The inter-se seniority of the Health Visitor shall be determined according to the merit list prepared by the Commission.

13. Chains of Promotion.- (1) Subject to availability of vacancy, confirmed Health Visitor may be considered to be promoted to the promotional post of the chain of posts mentioned in Appendix-1, according to merit-cum-seniority.

(2) For promotion, it shall be necessary to comply instructions with respect to 'KALAWADHI' issued by the government, from time to time.

(3) Compliance of instructions issued by the Government, from time to time, with respect to promotion and Character Roll/P.A.R, allegation/ departmental proceeding/criminal proceeding etc, shall be required at the time of consideration of promotion.

14. Departmental Promotion Committee.- Promotions will be on the basis of recommendations of the Departmental Promotion Committee. The Departmental Promotion Committee shall be constituted by the Department.

15. Reservation.- It shall be necessary to comply Reservation Act of the Government and reservation roster for direct recruitment and promotion, issued by the Government, from time to time.

16. The chain of posts mentioned in Appendix-1 shall be effective only after approval of the Government. If, in course of consideration of approval, any modification or amendment is made by the Government in the chain of posts mentioned in Appendix-1, then the Appendix-1 shall be deemed to be modified or amended accordingly and such modified/amended chain of posts shall be deemed to be the part of these Rules.

17. The personnel already appointed/promoted and working on the posts of this cadre mentioned in Appendix-1, before coming into force of these Rules, shall be deemed to be automatically included in this cadre.

18. Residue matters.- For the subjects which have not been provided in these Rules, provisions of concerned Codes/Rules/Resolutions/Instructions of the Government shall apply.

19. Interpretation.- If any doubt arises with respect to interpretation of any provision of these Rules, it shall be referred to the Department and in this respect decision of the Department shall be final after consultation with The Law Department.

20. Removal of difficulties.- If any difficulty arises in implementation of provisions of these Rules, the Department may remove such difficulty after consultation with The Law Department by general or special order which is not inconsistent with the provisions of these Rules.

21. Duties & Responsibilities.- The duties and responsibilities of Health Visitors will be as specified in Appendix-2.

22. Repeal & Savings.- (1) The Rules and all Resolutions, Orders, Instructions etc. issued earlier, from time to time, by the Department, with respect to this cadre, are here by repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, any work done or any action taken under aforesaid Rules, Resolutions, Orders, Instructions etc shall be deemed to be done or taken under these Rules, as it these Rules were in force on the date on which such a work was done or such an action was taken.

APPENDIX-1

[See rule 2(vi), 4, 13, 16, 17]

Chain of posts of Bihar Tuberculosis Health Visitor cadre

Sl.no.	Category	Name of posts	Remarks
1.	Basic category	Health Visitor	
2	First chain	Senior Health Visitor	
3	Second chain	Tuberculosis Supervisor	
4	Third chain	Senior Tuberculosis Supervisor	

Note.- The Pay-Band and Grade-Pay of all aforesaid posts shall be the same as may be determined by the Government from time to time.

APPENDIX-2

[See rule-21]

Duties & Responsibilities of personnels of the Bihar Tuberculosis Health Visitor cadre.

1. The Health Visitors will be posted in T.B.D.C., District T.B. Centres, upgraded Destrict T.B. Centres and Chest Clinics, where their duties will be implementation of motivation, supervision and training programmes.
2. The post of Senior Health Visitor will be of district level and they will perform the aforementained duties by supervising works of Health Visitors posted in the concerned district.
3. The post of Tuberculosis Supervisor will of Divisional level and they will perform the aforementioned duties by supervising works of Health Visitors and Senior Health Visitors of the districts under the concerned Division.
4. The post of Senior Tuberculosis Supervisor will be at State T.B. Office and in the Office of Director, T.B.D.C. where he will perform duties under the control of the Director.

By order of the Governor of Bihar,
Sd./Illegible,
Joint Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 988-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in